1755
20/2/17

OFFICE OF THE
INSPECTOR GENERAL OF POLICE, SOUTHERN RANGE, HIMACHAL PRADESH, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2

No.C-2-38/Standing Order /17- 660 **Dated-** 28-1-17

To

The Superintendent of Police,
Kinnaur ,district Kinnaur at Reckongpeo.

Subject: **SOP for the security of temples.**

Sir,

Please refer to your office SOP endst No.1263-78 dated 16.1.2017, on the subject cited above.

2. SOP has been approved by the worthy IGP SR and a copy of the same is enclosed herewith for information and further necessary action.

Encls:- 2 leaves

Yours faithfully,

for/Inspector General of Police,
Southern Range, Shimla-2.

Seen

Endst No 4406-11 Dt 20/2/17

copy to All SHOs in Kinnaur ... copy of SOP for inf & n/action. // DCRB Steno/ to upload on website.

कार्यालय पुलिस अधीक्षक,जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ,हि0प्र0।

क्रमांक :वाचक/17. दिनांक :

मन्दिरों के सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित निष्पादन प्रकिया (SOP)

वर्तमान में इस जिला के अभिलेख के अनुसार कुल 133 छोटे व बड़े मन्दिर स्थापित है तथा इन मन्दिरों को सुरक्षा की दृष्टि से तीन श्रेणियों क्रमशः A,B,C में विभाजित किया गया है। 48 प्रथम व द्वितीय श्रेणी के मन्दिरों की सुरक्षा हेतू गृह रक्षक तैनात किये गऐ हैं तथा अन्य मन्दिरों में सुरक्षा हेतू मन्दिर कमेटी द्वारा चौकीदार/ग्रामवासियों को बारी–2 से डियूटी पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–34101–11 दिनांक 28.11.2015 द्वारा सभी प्रभारियों को निर्देश दिये गये थे कि अपने–2 थाना क्षेत्राधिकार में आने वाले मन्दिरों में रखी कीमती मूर्तियां, व अन्य कीमती सामान की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मन्दिरों से मूर्तियों Cash व Jewellery की चोरी को रोका जा सके व मन्दिरों में स्थापित पुराने धरोहरों की सुरक्षा की जा सकें।

मन्दिरों से मूर्तियों, Cash व Jewellery की चोरी रोकने हेतू निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं।

- प्रभारी थाना/चौकी महिने में एक बार मन्दिर सुरक्षा में लगे गृह रक्षको के साथ मिटिंग का आयोजन करें तथा मन्दिर सुरक्षा हेतू पूर्ण विचार करें ।
- मन्दिर में स्थापित मूर्तियों का फोटोग्राफस व रिर्काड रखा जाए।
- पुलिस सामुदायिक योजना के अर्न्तगत गांव में मिटिंग के दौरान मन्दिरों में रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के बारे विचार विर्मश किया जाए। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर सम्बन्धित मन्दिर कमेटी/पंचायत के प्रधान को रोशनी लगाने बारे प्रेरित किया जाए।
- मन्दिर कमेटीयों से आग्रह किया जाए कि मन्दिरों में रखे गये कीमती सामान जैसे सोना/चांदी के जेवरात आदि को सुरक्षित रूप से रखने के लिए Bank Lockers का प्रयोग किया जावें अथवा स्ट्रोग अलमारी का प्रयोग करें।।
- कम्यूनिटी पौलिसिंग मिटिंग के दौरान मन्दिर कमेटी से आग्रह किया जाए कि वे मन्दिर में उच्च स्तर के ताले (Double lock system) का प्रयोग करें तथा मन्दिर की सुरक्षा हेतू ग्रिल की व्यवस्था भी की जाए। मन्दिरों में निगरानी रखने के लिए मन्दिर की तरफ आने/जाने वाले रास्तो व मन्दिर के अन्दर चारों तरफ गुप्त CCTV कैमरा लगाने के लिए मन्दिर कमेटी, प्रधान ग्राम पंचायत इत्यादि को प्रेरित किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर कमेटी को मन्दिरों में बरगलर अलारम यन्त्र लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।
- प्रभारी थाना/चौकी व बीट आरक्षी गांव में भ्रमण के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले नेपाली/प्रवासी मजदूरों पर कडी निगरानी रखें तथा उनके डेरों/मकानों का औचक निरीक्षण भी करेंगे।
- मन्दिर कमेटी द्वारा मन्दिर सुरक्षा हेतू रखे गए चौकीदारों को आयुद्ध लाईसेंस लेने बारा प्रेरित करें।
- प्रभारी थाना पिछले पांच वर्षो में इस जिला व उपमण्डल रामपुर में हुई मन्दिर चोरी व गृह भेदन के अभियोगो में संलिप्त रहे अभियुक्तों के फोटो मन्दिर कमेटी को उपलब्ध करवाएगें तथा पुलिस सामुदायिक स्कीम की मिटिंग के दौरान इन अभियुक्तों द्वारा चोरी करने हेतू अपनाए गई तरीका वारदात (MOD) मन्दिर कमेटी के साथ Share करें।

- पिछले पांच वर्षों में चोरी की वारदातों में संलिप्त रहे व्यक्तियों की वर्तमान कियाकलाप(Activities)पर निगरानी रखी जाए तथा थाना पर रजिस्टर में उनका पूर्ण विवरण रखा जाए व हर महीने उनकी जांच पडताल की जाए।
- मन्दिर कमेटी व पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का दूरभाष नम्बर हर थाना/चौकी में उपलब्ध होना चाहिए तथा मन्दिर कमेटी व पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के पास प्रभारी थाना/चौकी व बीट आरक्षी के नम्बर उपलब्ध होना चाहिए।
- यदि किसी मन्दिर में सुरक्षा की दृष्टि से कोई मुरम्मत वांछित है तो मन्दिर कमेटी को तुरन्त मुरम्मत हेतू प्रेरित करेगें।
- मन्दिर की सुरक्षा हेतू लगातार बीट गश्त करना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी थाना/चौकी समय–समय पर मन्दिर कमेटी के साथ मन्दिर सुरक्षा पर बैठक करेगें तथा चोरी रोकने हेतू आवश्यक कदम उठाएगें।
- नाका बन्दी के दौरान संदिग्ध गाडियों की चैकिंग करना सुनिश्चित की जाए तथा गाडियों के नम्बर बीट बुक में लिखे जाए।
- हर दो हप्ते में प्रभारी थाना/चौकी मन्दिरों में सुरक्षा हेतू हि0प्र0 गृह रक्षक के जवानों/चौकीदारों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। गृह रक्षकों को बीट बुक या उनकी हाजरी सुनिश्चित करने के लिए एक रजिस्टर दिया जाऐ तथा मन्दिर कमेटी के सदस्यों को चैकिंग हेतू प्रेरित किया जाए ताकि गृह रक्षक के जवानों की बराबर हाजिरी सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ।

पृष्ठांकन संख्या 1263–78

दिनॉक 16-01-2017

1. प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी खण्ड, शिमला–1 को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है
2. प्रतिलिपि उप–पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय),जिला पुलिस निरीक्षक जिला किन्नौर एवं अगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
3. प्रतिलिपि समस्त प्रभारी थाना ,चौकीयात को आगामी अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, तथा उपरोक्त दिये गए दिशा निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट मासिक रूप से इस कार्यलय को प्रेषित करें जो हर माह की पॉच तारीख को इस कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए।
4. प्रतिलिपि प्रभारी जिला अपराध शाखा (DCRB) को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है तथा इस **SOP की प्रतिलिपि को** Kinnaur Police Website में upload करें।

अनुमोदित

पुलिस महानिरीक्षक,
दक्षिणी क्षेत्र, शिमला-2

पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकॉगपिओ।